प्रेस नोट
दिनांक 11.12.2025

माननीय मुख्यमंत्री जी के जनपद में प्रस्तावित आगमन के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित हेलीपैड का किया गया निरीक्षण, सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश–

गोण्डा। आज दिनांक 11.12.2025 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रस्तावित जनपद आगमन के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिज़र्व पुलिस लाइन्स स्थित हेलीपैड पर सुरक्षा तैयारियों का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा हेलीपैड परिसर की परिधि सुरक्षा, प्रवेश–नियंत्रण व्यवस्था, वीवीआईपी आगमन–प्रस्थान मार्ग, भीड़ नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा घेरा, सीसीटीवी कवरेज, डमी रिहर्सल की स्थिति, फायर यूनिट, एम्बुलेंस, एंटी–सबोटाज चेकिंग, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया दल की तैयारियों का बिंदुवार आकलन किया गया तथा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि हेलीपैड के भीतर एवं बाहरी परिधि में तैनात सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड में रहें, सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने निर्धारित प्वाइंट पर समय से ड्यूटी जॉइन करें, पास सिस्टम का कड़ाई से पालन कराया जाए तथा किसी अनधिकृत व्यक्ति को प्रवेश न दिया जाए। महोदय द्वारा बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री का जनपद आगमन अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसे में सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूर्ण अनुपालन किया जाए। वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित न होने पाए तथा वैकल्पिक रूट प्लान भी सक्रिय रहें। महोदय द्वारा संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समस्त व्यवस्थाएं पूरी तरह चाक–चौबंद रखी जाएं, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद आगमन सुरक्षित, सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराया जा सके।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 11.12.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जालसाजी करने के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–710/25, धारा 419,420,467,468,471,504,506 भादवि से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों– 01. श्रीमती खातून पत्नी जमशेर, 02. रामचन्दर पुत्र महादेव, निवासीगण ग्राम शिवगढ़ थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को ग्राम शिवगढ से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 22.09.2024 को वादी पवन कुमार निवासी देवतहा, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि प्रार्थी के पिता राम अयोध्या प्रसाद की मृत्यु वर्ष 1998 में दुर्घटना में हुई थी तथा उनकी नामांकित भूमि की वरासत वर्ष 2020 में प्रार्थी के नाम दर्ज हो चुकी है। विपक्षीगणों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत प्रार्थी के दिवंगत पिता के नाम से कूटरचित व जालसाजी पूर्ण बैनामा तैयार कर विपक्षी श्रीमती खातून के पक्ष में दिनांक 09.05.2018 को गाटा संख्या 846मि0/0.953 हे0 का अवैध बैनामा पंजीकृत करा लिया। प्रार्थी द्वारा आपत्ति करने पर विपक्षीगणों ने गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी दी तथा भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 11. 12.2025 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए 02 वांछित अभियुक्तों– 01. श्रीमती खातून पत्नी जमशेर, 02. रामचन्दर पुत्र महादेव, निवासीगण ग्राम शिवगढ़ थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को ग्राम शिवगढ से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. श्रीमती खातून पत्नी जमशेर, नि0 ग्राम शिवगढ़ थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. रामचन्दर पुत्र महादेव, नि0 ग्राम शिवगढ़ थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–710/25, धारा 419,420,467,468,471,504,506 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 मनीष कुमार।
02. हे0का0 विपिन कुमार पाण्डेय।
03. म0का0 तुषा पाण्डेय।

मीडिया सेल, गोण्डा।